

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।
प्रशासनिक आदेश संख्या 163 /2025

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 7356/मेन (पी) एडमिन0 (ए-3) इलाहाबाद दिनांकित 31.05.2019 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद आजमगढ़ सहित कुल 35 जनपदों में प्रत्येक वर्ष माह मई व जून में न्यायालय की समयावधि प्रातःकाल 07.00 बजे से 1.00 बजे तक किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त पत्र के अनुपालन में जनपद न्यायालय, आजमगढ़ व ग्राम न्यायालयों में माह मई व जून 2025 के दौरान न्यायालय का समय प्रातःकाल 07.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक रहेगा। इस मध्य प्रातः 10.30 से 11.00 बजे तक भोजनावकाश रहेगा। सभी कार्यालय का समय प्रातःकाल 06.30 बजे से अपरान्ह 01.30 बजे तक रहेगा।

समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाय तथा आदेश की एक प्रति सूचना पट्ट पर चस्पा किया जाय।


 (जय प्रकाश पाण्डेय)
 जनपद न्यायाधीश
 आजमगढ़।

दिनांकित: अप्रैल 28, 2025

संख्या: 1048 /प्रथम

दिनांकित: अप्रैल 28, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
02. पीठासीन अधिकारी, वाहन दुर्घटना अधिकरण, आजमगढ़।
03. प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, आजमगढ़।
04. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
05. पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।
06. नोडल आफिसर कम्प्यूटर को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त आदेश को इस जजशिप की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
07. संयुक्त निदेशक अभियोजन, आजमगढ़।
08. मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़।
09. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, आजमगढ़।
10. जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़ को प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
11. अध्यक्ष/मंत्री, दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ, आजमगढ़।
12. अध्यक्ष/मंत्री, तहसील अभिभाषक संघ, फूलपुर, लालगंज, मेहनगर व बूढनपुर, आजमगढ़।


 (जय प्रकाश पाण्डेय)
 जनपद न्यायाधीश
 आजमगढ़।